संख्या पी- 84/14-2-2018-800(75)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 16 अप्रैल 2018

विषयः- कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 चैनेज 134.022 की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा सं0- 489 पर बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2758/ कासगंज/31078/2017 दिनांक 26-3-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 चैनेज 134.022 की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा सं0- 489 पर बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में बी0पी0सी0एल0 की तरफ से श्री टोनेश चतुर्वेदी प्रबंधक (रिटेल) मथुरा का प्रस्ताव के साथ पावर आफ एटार्नी संलग्न नही है।

अतएव प्रस्तावक श्री टोनेश चतुर्वेदी प्रबंधक (रिटेल) मथुरा का बी0पी0सी0एल0 की तरफ से पावर आफ एटार्नी शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी,)
विशेष सचिव